कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रारूप–5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्रं0/ 992 /2024 इन्दौर, दिनांक 27/12/24

प्र0क्रं0 ....579.../बी–121/2023–24

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम–सोनवाय, तहसील–राऊ जिला–इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :–

श्री/श्रीमती/मेसर्स :– **विनोद कुमार अग्रवाल**

पिता :– **स्व. श्री राम कुमार अग्रवाल**

पता :– **अग्रवाल हाउस, द्वितीय मंजिल, 5, यशवंत कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इंदौर (म.प्र.)**

कालोनी का नाम :– "EMERALD AASHRAY"

ग्राम–सोनवाय, तहसील–राऊ, जिला–इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 303/1/1 रकबा 0.558 हे., खसरा नंबर 303/2 रकबा 0.641 हे., खसरा नंबर 304/1 रकबा 0.498 हे., खसरा नंबर 304/2 रकबा 0.497 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 2.194 हे. भूमि पर **"EMERALD AASHRAY" कालोनी** की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन उपरांत आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु कालोनी विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाती है:–

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

1— म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।

2— मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु दी गई अनुज्ञा में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

3— यदि लागू हो तो नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 एवं शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के उपबंधो का पालन करना होगा।

4— म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित उपबंधो का पालन करना अनिवार्य होगा।

5— कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6— आवेदक को विकास कार्य म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मापदण्डों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

7— म.प्र. राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 में प्रकाशित म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 3 (तीन) में उल्लेखित **"शासकीय निर्माण कार्य/रहवासी कालोनी, बहुमंजिला इमारत के विकास में, शासकीय ठेकेदार/बिल्डर द्वारा विधिमान्य खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के बिना गौण खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा"** उपबंध का पालन करना अनिवार्य होगा।

8— आपके द्वारा भुगतान किये गये कॉलोनी अनुज्ञा शुल्क एवं अतिरिक्त आश्रय शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इन्दौर

9– नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियां ली जाना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तो का पालन करना होगा।

10– आवेदित भूमि के समीपस्थ शासकीय/नाला/नदी/मंदिर/रास्ता/चरनोई /एम. पी. हाउसिंग बोर्ड या अन्य मद की भूमि हो तो उस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण नही किया जा सकेगा। अतिक्रमण किये जाने पर यह अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

11– संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा एवं भवन अनुज्ञा निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अधिकारी विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

12– उपरोक्त कालोनी में सड़क के बगल में वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा एवं 4.5 फीट ऊँची चहारदीवारी के साथ बच्चों के गार्डन/खेल मैदान का निर्माण अनिवार्यतः करना होगा।

13– आवेदित कालोनी के गार्डन क्षेत्र में गार्डन विकसित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्माण कार्य नही कराया जावेंगा तथा रोड के किनारे एवं गार्डन में फलदार व छायादार (जैसे नीम, आम, पीपल, जामुन आंवला इत्यादि) वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

14– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत ही विकास एवं निर्माण कार्य मान्य होगा। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला धार के पत्र–क्रमांक/पी.आई.टी.एल.पी. 280623039/दिनांक/15/अगस्त/2023 से स्वीकृत अभिन्यास एवं विकास अनुमति की शर्तो के विपरीत कार्य किये जाने पर विकास कार्य पूर्णता प्रदाय नही की जावेगी।

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर